

203

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-छिंदवाडा

RUB265-116

श्रीमती रैनाबाई पुत्री जियनलाल  
आदिवासी, निवासी ग्राम लहगडुआ  
तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

-- आवेदिका

विरुद्ध

- 1- दीनदयाल पुत्र मेहताब चन्दवशी,
- 2- पूरनलाल पुत्र रामदयाल साहू,
- 3- म0प्र0 शासन, द्वारा कलेक्टर,

जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री. वामन चन्दवशी  
द्वारा आज दि. 21/12/16 को  
प्रस्तुत  
कलेक्टर ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

तरसीबी  
पक्षकार  
क. 1 व. 2.

न्यायालय कलेक्टर छिंदवाडा द्वारा प्रकरण क्रमांक 19//अ-21/2016-17 में पारित  
आदेश दिनांक 21.11.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50  
के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला छिंदवाडा का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला छिंदवाडा द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया गया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 3- यहकि, आवेदिका द्वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम हलगडुआ, रा.नि.म. छिंदवाडा-2, जिला छिंदवाडा के भूमि सर्वे नम्बर 413/5 रकबा 0.405 है0 (एक एकड) को विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर, जिला छिंदवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सद्भाविक विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 4- यहकि, आवेदिका द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया था कि उसकी आयु लगभग 60 वर्ष है तथा उसकी अजीविका सुचारु रूप से चली है, वह जिस मकान में निवास कर रही है वह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में भूमि का विक्रय की जाने की अनुमति दी जाये। जिससे

828  
21/12/16

828  
21/12/16


B/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक/265 एक/2016 निगरानी

जिला-छिन्दबाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23.12.16	<p>यह निगरानी कलेक्टर छिन्दबाड़ा द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत हुयी है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदिका ने कलेक्टर, जिला छिन्दबाड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि ग्राम लहगडुआ रा.नि.म. छिन्दबाड़ा - 2 जिला छिन्दबाड़ा में स्थित भूमि खसरा नं. 413/5 रकबा 0.405 है0 (1 एकड) भूमि अनावेदक क्रमांक 1 दीनदयाल पुत्र मेहताब चन्द्रवंथी अनावेदक क्रमांक 2 पूरन लाल पुत्र रामदयाल साहू दोनो निवासी ग्राम भूला - मोहगांव तहसील व जिला छिन्दबाड़ा को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर छिन्दबाड़ा द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छिन्दबाड़ा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश दिनांक 21.11.2016 से विक्रय अनुमति आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। गया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदिका द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> 	

Pax

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास ग्राम लहगडुआ में 2.262 है० एवं ग्राम अजनिया में रकवा 1.225 है० भूमि शेष बचेगी। जिससे वह उक्त भूमि में नलकूप खनन कर भूमि को कृषि उपयोगी बनायेगी। आवेदिका की उम्र 60 वर्ष है, ऐसी स्थिति में वह दूर की खेती देखभाल करने में असमर्थ है। आवेदिका का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसको वह बनाना चाहती है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का विक्रय सद्भावना पर आधारित है और उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी। अंत में वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की गयी।

5- उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि आवेदिका ने कलेक्टर छिन्दबाडा के आदेश दिनांक 21.11.2016 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब आवेदिका द्वारा चार साक्षियों के कथन कराये गये। साथ ही साथ विक्रय का अनुबंध पत्र जो अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के साथ किया गया है प्रस्तुत

R/14


M

किया था। जिसमें उल्लेख किया था कि वह अपने स्वयं के इलाज एवं जो कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है उसे बनाना चाहती है इस हेतु राशि की आवश्यकता है तथा शेष बची भूमि पर नलकूप खनन कर कृषि उपयोगी बनाना चाहती है। ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी।

6- आवेदिका के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदिका अपनी शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति तथा कृषि भूमि दूरी पर स्थित होने से देखरेख नहीं कर पाने के कारण उक्त भूमि से कोई लाभ व फायदा नहीं होने से लागत के अनुपात में उपज नहीं हो पाने से आवेदिका द्वारा उक्त भूमि को बेच देना उसके हित में होने से भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदिका ग्राम लहगडुआ में रकवा 2.262 है तथा ग्राम अजनिया में 1.254 है० भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदिका भूमिहीन नहीं होगी उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदिका द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदिका की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदिका अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदिका की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदिका की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

7- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदिका के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदिका आदिवासी जाति की सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदिका ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदिका ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन से अनावेदक क्रमांक 1 दीनदयाल पुत्र मेहताब चन्द्रवंशी अनावेदक क्रमांक 2 पूरन लाल

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

पुत्र रामदयाल साहू दोनो निवासी ग्राम भूला - मोहगांव तहसील व जिला छिन्दवाड़ा के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गार्ड लाईन के मान से अधिक विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदिका को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदिका को ग्राम लहगाड़ुआ रा.नि.म. छिन्दवाड़ा - 2 जिला छिन्दवाड़ा में स्थित भूमि खसरा नं. 413/5 रकवा 0.405 है (1 एकड़) भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

B/K

  
सदस्य